

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना  
अधिसूचना

पत्रांक संख्या-.....14/डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी-14213-2699/रा0,पटना, दिनांक-22-11-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- बीरख, थाना नं०-31, थाना-पुपरी, अंचल- सुरसण्ड, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं०-87 के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- बीरख, थाना नं०-31, थाना-पुपरी, अंचल- सुरसण्ड, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कर्माबेस 0.085 हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनामीन खेसरा संख्या-	1362अंश	2346अंश	1378अंश	1379अंश	1380अंश	2344अंश	2343अंश	2331अंश	2330अंश
	2325अंश	2324अंश	2323अंश	2322अंश	2314अंश	2313अंश	2311अंश	2312अंश	2310अंश
	2253अंश	2251अंश	2247अंश	2243अंश	2242अंश एवं 2241 का अंश रकबा				

चौहद्दी

उत्तर - सुरसण्ड रोड

दक्षिण - रोड


पूरब - 3745, 2339, 2365, 23, 44, 2343, 2331, 2330, 224, 2323, 2325, 2322, 2314, 2313, 2312, 2253, 2252, 2243, 2242 एवं 2241 का अंश

पश्चिम - 1362, 1346 एवं 1321 का अंश


यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक०), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि०, पी०आई०यू०-3, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक संख्या-...../डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी-.....-2299/रा0,पटना, दिनांक-22-11-13

प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- समाहर्ता /अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव